राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-689/2012/भरतपुर

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–अ, भरतपुर

बनाम

मै. विक्की बिल्डिंग मटेरियल स्टोर, तारा महेन्द्रा हॉस्पिटल के पास, भरतपुर

प्रत्यर्थी

...अपीलाथी

<u>एकलपीठ</u> श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : : श्री एन.के.बेद उप राजकीय अभिभाषक श्री जतिन हरजाई अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.04.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 36/उपा-अपील्स/2011-12/ में पारित आदेश दिनांक 31.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-अ, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2008-09 हेतु पारित आदेश दिनांक 28.01.2011 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 23 व 24 के तहत कायम की गई मांग राशि रू. 63,905/- को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा मांग राशि को अपास्त किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवसायी सीमेंट का विक्रेता है। वह सीमेंट के थोक विक्रेता से माल खरीदकर विक्रय करता है। थोक विक्रेता बिक्री के समय कैस डिकाउण्ट व ट्रेड डिस्काउंट काटकर विक्रय मूल्य पर क्रेता से कर वसूल करता है एवं वेट इनवॉयस जारी करता है। इसके पश्चात प्रतिस्पर्द्धाथक बिजनेस होने की वजह से व ट्रेड में कम्पीटीशन होने की वजह से खरीददार को बिक्री पर कई स्कीम व डिकाउंट अलग–अलग स्तर पर देता है। थोक विक्रेता व्यवसायी द्वारा क्रेता व्यवसायी को टर्नओवर डिस्काउंट, वोलियम डिस्काउंट टार्गेट डिस्काउंट, प्राईस एस्केलेशन डिफ्रेंस, इन्सेन्टिव बोनस, परफोर्मिंग डिस्काउंट आदि क्रेडिट नोट के जरिये दिये जाते है। क्रेता व्यवसायी इनको अपने बहियात में डिस्काउंट व कमीशन के हैड में इन्द्राज करता है।

SWD

अपील संख्या-689/2012/भरतपुर -2-

चूंकि व्यवसायी को उपरोक्त डिस्काउंट के कारण लाभ प्राप्त होता है इसलिए वह क्रय राशि से भी कम पर माल का विक्रय करता है। व्यवसायी को 12.5 प्रतिशत खाते में 5,11,236 / – का डिस्काउंट व कमीशन प्राप्त हुआ। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के व्यापार खाते की जांच कर यह पाया कि व्यवहारी ने कम राशि पर माल का विक्रय किया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रू 5,11,236 / – को विक्रय का हिस्सा मानते हुय उक्त राशि पर रू 63,905/– का करारोपण किया है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

विद्धान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय 4. विधिसम्मत नहीं है। व्यवसायी ने क्रय राशि से भी कम राशि पर माल का विक्रय किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने डिस्काउंट को विक्रय का हिस्सा माना है जो विधिसम्मत है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

3.

विद्धान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने कथन किया कि व्यवसायी सीमेन्ट का विक्रेता है जो 5. विनिर्माता कम्पनीयों के डिपो से सीमेन्ट क्रय करता है एवं वैट बिल में विक्रय मूल्य व वैट अलग से वसूल किया जाता है तथा वैट-07 में दर्शाया जाता है। अधिनियम के अन्तर्गत विक्रेता फर्म का यह दायित्व है कि उसके द्वारा जो वैट वसूल किया गया है वह राज्य कोष में जमा करवाया जाये व कर निर्धारण अधिकारी इसका सत्यापन करे। यह क्रेता व्यवसायी का इनपुट टैक्स है। अधिनियम 2003 की धारा 2(36) के अनुसार विक्रय मूल्य वह राशि है जो माल की डिलीवरी के समय देय होती है। इसमे से अगर कोई डिस्कांउट देय है तो वह कम कर दिया जाता है। इस राशि पर क्रेता व्यवसायी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मान्य है परन्तु Explanation ॥ के अनुसार एक्सपोस्ट फैक्टो ग्रान्ट ऑफ डिस्काउंट, रिबेट और रिवार्ड पर कर में छूट नहीं है। वैट क्रेडिट नोट केवल एक एकाउन्टिंग ऐन्ट्री है जिसका वैट इनवोईस से कोई संबंध नहीं है। इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अमान्य नहीं किया जा सकता। इन्होंने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा प्राप्त किये गये डिस्काउंट पर करारोपण नहीं किया जा सकता। इन्होंने अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया। इन्होंने अपने समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1167 / 2011 मै. हिंगड ट्रेडर्स, उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर निर्णय दिनांक 28.02.2012 व अपील संख्या 1844/2013/उदयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–डी, उदयपुर बनाम मै. लोढां सीमेन्ट सप्लायर्स, उदयपुर निर्णय दिनांक 08.12.2016 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

2m

लगातार......3

3 – अपील संख्या–689 / 2012 / भरतपुर

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :--

7. विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी को प्राप्त डिस्काउंट कमीशन की राशि पर करारोपण किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी द्वारा दर्शायी गयी बिक्री के अलावा अन्य कोई बिक्री सिद्ध नहीं की है व न ही अण्डर बिलिंग का प्रमाण है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 2(36) में दी गयी विक्रय मूल्य एवं धारा 2(41) में दी गयी टर्नओवर की परिभाषा का अवलोकन करना समीचीन है :--

2(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I. – In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III. – Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

2 (41) "turnover" means the aggregate amount of sale price received or receivable by a dealer including purchase price of the goods which are subject to tax under sub-section (2) of section 4 "but shall exclude the sale price or part of sale price, if any, in respect of sales of goods which were purchased in the State by the dealer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods or, where tax on maximum retail price of such goods were paid in the State on an earlier occasion;

विक्रय मूल्य की परिभाषा के एक्सप्लेनेशन II में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि विक्रय के समय कैश व ट्रेड डिस्काउंट विक्रय मूल्य का भाग नहीं होगा परन्तु उसके बाद एक्पोस्ट फैक्टों डिस्काउंट, इन्सेन्टिव, रिबेट, रिवार्ड विक्रय मूल्य का भाग होगे। इस प्रकरण में व्यवसायी निर्माता कम्पनियों के डिपो से सीमेन्ट खरीदता है एवं उसे वैट इनवोइस प्राप्त होती है जिसमें खरीदे गये माल पर वैट दर्ज होता है जो उसे चुकाना होता है। उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अध्ययन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने क्रीत माल पर, प्रथम विक्रेता व्यवहारी से डिस्काउंट प्राप्त किया है एवं जिस पर अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण–द्वितीय के प्रावधान लागू किये जाने योग्य नहीं

25

लगातार......4

अपील संख्या-689/2012/भरतपुर

है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने घोषित विक्रय कीमत में से विक्रय के पश्चात, किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट/रिबेट/कमीशन/रिवार्ड प्रदान नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 2(36) में विक्रय के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त राशि की अवधारणा को परिभाषित कर, स्पष्टीकरण में वर्णित उक्त प्रावधानों अग्रिम रूप से स्पष्ट किया गया है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रय पर डिस्काउंट/कमीशन प्राप्त किया गया है जो उसकी प्राप्तियाँ है न कि उसके विक्रय मूल्य का भाग। लेखा विधि के अनुसार किसी भी प्राप्ति को क्रेडिट अकाउंट में ही दर्शाया जायेगा। इसके कारण उसकी डिस्काउंट के रूप में प्राप्त राशियाँ क्रेडिट खाते में जायेगी। स्वयं की प्राप्तियों को विक्रय मूल्य का भाग मानना विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषित विक्रय कीमत को बढ़ाया जाकर, करारोपण करना विधि के उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में अनुज्ञेय नहीं है जिसकी पुष्टि राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 834/2012/अलवर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, अलवर बनाम मैसर्स आर.एस.टायर हाऊस ट्रांसपोर्ट नगर, अलवर में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2012 व अपील सं. 119/2014 सहायक आयुक्त, वृत्त—अ भरतपुर बनाम मै. मित्तल सीमेन्ट हाऊस भरतपुर से भी होती है। साथ ही प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्नओवर के संबंध में न तो कोई जांच की गई है व न ही व्यवसायी के खिलाफ कोई साक्ष्य एकत्रित किया है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

